**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 929**

**22.12.2017 को दिया जाने वाला उत्‍तर**

**रेलगाडि़यों में अपराध की घटनाएं**

**929. श्री मोतीलाल वोरा:**

 **क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्‍या सरकार को जानकारी है कि रेलों में लूटपाट, हत्‍या और बलात्‍कार जैसी घटनाएं पिछले दो-तीन वर्षों से लगातार हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्‍या सरकार इसके लिए उत्‍तरदायित्‍व निश्चित करेगी; और

(ग) सरकार रेलों में यात्रियों को सुरक्षित यात्रा उपलब्‍ध कराने के लिए क्‍या कदम उठा रही है?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) से (ग) :एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

रेलगाडि़यों में अपराध की घटनाओं के संबंध में 22.12.2017 को राज्‍य सभा में श्री मोतीलाल वोरा द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्‍न सं. 929 के (क) से (ग) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण**।

(क) : जी हां।

(ख) और (ग) : रेलों पर पुलिस की व्‍यवस्‍था करना राज्य सरकार का विषय है, इसलिए रेल परि‍सरों और चलती गाडि़यों में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों का पंजीकरण करना, उनकी जांच करना और कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखना, राज्‍य सरकारों का सांविधिक उत्‍तरदायित्‍व है, जिसका निर्वहन वे राजकीय रेल पुलिस (रारेपु)/जिला पुलिस के जरिए करते हैं। बहरहाल, रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) यात्रियों और यात्री क्षेत्र की बेहतर रक्षा और सुरक्षा करने तथा उनसे जुड़े मुद्दों पर राजकीय रेल पुलिस के प्रयासों में सहायता करता है।

 बहरहाल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलों द्वारा निम्‍नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

1. भेद्य और चिह्नित मार्गों/खंडों पर, विभिन्‍न राज्‍यों के राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा 2200 गाडि़यों के मार्गरक्षण के अलावा, रेल सुरक्षा बल द्वारा 2500 गाडि़यों (औसतन) का मार्गरक्षण किया जा रहा है।
2. यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा निश्चित करने के लिए, भारतीय रेल के लगभग 394 स्‍टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों द्वारा निगरानी रखी जाती है।
3. विपत्‍ति के समय यात्रियों को सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए सुरक्षा हेल्‍पलाइन नंबर ‘182’ कार्य कर रहा है।

4. 202 संवेदनशील रेलवे स्‍टेशनों पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्‍लोज़ सर्किट टेलीविज़न कैमरा नेटवर्क, एक्‍सेस कंट्रोल आदि के जरिए भेद्य स्‍टेशनों की निगरानी वाली एकीकृत सुरक्षा प्रणाली स्‍वीकृत की गई है।

 5. महानगरों में चलने वाली सभी महिला स्‍पेशल गाड़ि‍यों का महिला आरपीएफ कर्मियों द्वारा मार्गरक्षण किया जा रहा है। गाड़ी मार्गरक्षण पार्टियों को लंबी दूरी की गाडि़यों में मार्गवर्ती और हाल्‍ट स्‍टेशनों पर महिला सवारी डिब्‍बों पर अतिरिक्‍त सतर्कता रखने के लिए ब्रीफ किया गया है।

6. यात्रियों की सुरक्षा और गाड़ी मार्गरक्षी कर्मचारियों की सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए गाडि़यों में औचक जांचें की जाती हैं।

7. चोरी, झपटमारी, आदि के विरूद्ध सावधानियां बरतने हेतु यात्रियों को शिक्षित करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली द्वारा निरंतर रूप से घोषणाएं की जाती है।

8. यात्रियों की सुरक्षा को बेहतर करने और उनकी सुरक्षा से संबंधित समस्‍याओं के समाधान के लिए, रेलें, फेसबुक, ट्विटर जैसे विभिन्‍न सोशल मीडिया प्‍लेटफार्मों के जरिए यात्रियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहती हैं।

9. गाड़ियों और रेल परिसरों में अप्राधिकृत रूप से व्‍यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए, समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं।

10. रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल परिसर के साथ-साथ चलती गाडि़यों में अपराधों की रोकथाम, मामलों के पंजीकरण, उनकी जांच और कानून व्‍यवस्‍था को बनाए रखने के लिए सभी स्‍तरों पर राज्‍य पुलिस/राजकीय पुलिस के साथ निकट समन्‍वय बनाए रखा जाता है।

\*\*\*\*\*\*